यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

उपमहाप्रबन्धक (मानव संसाधन विभाग), "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून -248001 (उत्तराखण्ड) दूरभाष-0135-2530584 फैक्स-0135-2531646
Dy. General Manager (Human Resource), Yamuna Bhawan, Yamuna Colony, Dehradun -248001 (Uttarakhand) Phone -0135-2530584 Fax - 0135-2531646
CIN No.U40101UR2001SGC025866
ISO 9001,14001 Certified

कार्यालयज्ञापन

एतद्द्वारा,यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 188/UJVNL/05/DirectorHR/DGM(IR)/ Empanelment of Hospitals Dated: 14/09/2020 के अनुक्रम में **कुकरेती मल्टी स्पेशियलिटि डेन्टल क्लीनिक, मैन मॉकेट, चिन्यालीसौड़,उत्तरकाशी** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतयाआश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिशद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र०जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैंएवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्युकी अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय मे नियमानुसार बाह्यरोगी की हैसियत से कराये जाने वाले दंत उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्तिहेतु **दिनांक 01.01.2022 से दिनांक31.12.2023 तक के लिये** मान्यता विस्तारित की जाती है।

2. उक्तचिकित्सालय उपरोक्त अंकित पूर्व आदेश संख्या 188/UJVNL/05/Director HR/DGM(IR)/Empanelment of Hospitals Dated: 14/09/2020 केसाथ संलग्न दर सूची में दर्शाई गईदरों पर **05 (पांच) प्रतिशत की छूट**प्रदान करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा जिसमेंपरामर्श शुल्क **(ConsultationFee)** में कोई छूट देय नहींहोगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देयनहीं होगा।

3. चिकित्सालय की निम्नलिखित बिंदुओके अनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :–

a मान्यताअवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।

b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिकराशि लेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।

c दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पतालके बिल में सम्मिलित किये जाने पर।

d अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम मेंअथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

e अस्पताल के विरूद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजोंद्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायते आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालयप्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवंउपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो के अनुपालन हेतु सहमति रू० 100.00 के नान ज्यूडीशियलस्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। **(प्रारूप संलग्न)**

उपरोक्तसंदर्भित आदेशों की शेश शर्ते यथावत रहेगी ।

निदेशक (मा०सं०)

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. निजी सचिव,अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजीसचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक(परिचालन)/(परियोजनाएं)/(वित्त)/(मा०सं०),यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासीनिदेशक (जानपद)/(वि०/या०)/(ओ०एण्डएम०)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्तमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इसअनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपनेस्तर से प्रेशित करने का कश्ट करें।**
6. उपमहाप्रबन्धक,(कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक,(आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को **निगमकी वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्शक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतू।**
8. कम्पनीसचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. उपमुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिश्ठविधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. चिकित्साधिकारी,मुख्यालय यमुना भवन, देहरादून।
12. डा० सतीश चन्द्र कुकरेती, कुकरेतीमल्टी स्पेशियलिटि डेन्टल क्लीनिक, मैन मॉकेट, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।
13. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त यूनियन/एसोसिएशन।

(राजेश चन्द्र)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)